फोन: 01482–241159

क्षैत्रीय कार्यालय

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

18, आजाद नगर, पन्नाधाय सर्किल, भीलवाड़ा

राप्रनिम/क्षैका भील/भील/पी.एच./ 46-7 दिनांक : 17/3/15

जिला कलक्टर,
कार्यालय जिला कलक्टर,
जिला–राजसमन्द।

विषयः– श्री राजेन्द्र सिंह राणावत द्वारा लसानी तहसील–देवगढ के राजस्व ग्रामों से एरिया 339.62 हैक्टयर पर प्रस्तावित नदी नालों से बजरी खनन का पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में जन सुनवाई आयोजित कराने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक प040(7)(42)सा0प्र0/पर्या/जनसु/11/146 दिनांक 23.02.2015, इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 12.03.2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है श्री राजेन्द्र सिंह राणावत द्वारा लसानी तहसील–देवगढ के राजस्व ग्रामों से एरिया 339.62 हैक्टयर पर प्रस्तावित नदी नालों से बजरी खनन का पर्यावरण पर पडने वाले प्रभाव के संबंध में जन सुनवाई कार्यक्रम का प्रकाशन आप द्वारा निर्धारित नियत तिथि में करवाना सम्भव नहीं है क्योंकि समाचार पत्रों में जन सुनवाई का प्रकाशन जन सुनवाई की दिनांक से 30 दिन पूर्व करवाना होता है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त जनसुनवाई हेतु नई तिथि एवं स्थान की सूचना प्रेषित करवाने की कृपा करें ताकि जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्रों में निर्धारित तिथि से 30 दिन पूर्व प्रकाशित करवाई जा सके।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

-sd-

क्षैत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.मं., जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. श्री राजेन्द्र सिंह राणावत पुत्र श्री भरत सिंह राणावत, ग्राम–हथोरिया, पोस्ट–बिहारा, तहसील–जहाजपुर, जिला–भीलवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित है।

17/3/2015

क्षैत्रीय अधिकारी

S:\RPCB\Letter\Public Hearing\Date Change New paper letter.doc

☎ 01482-241159

REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
18, Azad Nagar, Pannadhai Circle, Bhilwara - 311001

RPCB/RO BHL/RAJ/ 537

Date : 19/05/15

Group Incharge (Mines),
RPCB,
Jaipur.

Sub.:- Public hearing for Environmental Clearance to Shri Rajendra Singh Ranawat for Bajri mine, (lease area 339.62 hectare) project of revenue village-Lasani, Teshil-Deogarh, District-Rajsamand.

Ref.:- Public Hearing conducted on dated 27.04.2015 at Panchayat Samiti, Deogarh, Tehisl-Deogarh, District-Rajsamand.

Sir,

Please find herewith the minutes of public hearing conducted at Panchayat Samiti, Deogarh, Tehisl- Deogarh, District-Rajsamand along with CD of Videography & photographs for further necessary action.

In this context the lessee has already remitted Rs. 30000/- vide DD No.-928841 dt. 05.01.2015 drawn on PNB with Regional Office, Bhilwara.

Regards,

Encl. 1. Minutes of Public Hearing (Three sets).
2. CD of the Videography & Photographs (Three sets).

Yours Sincerely

-sd-
Regional Officer

Copy to:-

1. District Collector, Rajsamand with one set of minutes, CD of the videography & photography of Public Hearing.
2. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display minutes on website of Board.
3. Shri Rajendra Singh Ranawat, Village-Hathodiya, Post-Bihara, Tehsil-Jahazpur, District-Bhilwara with copy of proceeding to display at the office of the Gram Panchyat within jurisdiction of the project located & office of the Panchyat Samiti Zila Parishad, Nagar Parishad & Urban Improvement Trust and to submit the Form-I and pre-faesibility report diretly at H.O., Jaipur with a copy to this office at earliest.
4. Panchayat Samiti, Deogarh, Tehisl- Deogarh, District-Rajsamand with one set of minutes to display.

19/5

Regional Officer

जनसुनवाई कार्यवाही विवरण

आवदेक– श्री राजेन्द्र सिंह राणावत द्वारा निकट ग्राम–लसानी तहसील–देवगढ़ के राजस्व ग्रामों से एरिया 339.62 हैक्टयर पर प्रस्तावित खारी नदी से बजरी खनन क्षमता 150000 टन प्रतिवर्ष बाबत् परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 27.04.2015 को आयोजित लोक जनसुनवाई का विवरण:–

स्थान– कार्यालय पंचायत समिति, देवगढ, जिला–राजसमन्द (राज.)।

दिनांक:– 27.04.2015

समय:– 03:00 बजे

उपस्थिति : सर्व श्री

(1) गोविन्द सिंह राणावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, राजसमन्द।

(2) महावीर मेहता, क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंड़ल, क्षैत्रीय कार्यालय, भीलवाड़ा।

(3) कौशल किशोर जेथल्या, वैज्ञानिक अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंड़ल, क्षैत्रीय कार्यालय, भीलवाड़ा।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंड़ल, क्षैत्रीय कार्यालय, भीलवाड़ा की सार्वजनिक सूचना क्रमांक राप्रनिम/क्षैका भील/भील/पी.एच./4608–09 दिनांक 17.03.2015 भीलवाड़ा के अनुसार निर्धारित तिथि 27.04.2015 को पंचायत समिति, देवगढ, जिला–राजसमन्द में श्री राजेन्द्र सिंह राणावत द्वारा निकट ग्राम–लसानी तहसील–देवगढ के राजस्व ग्रामों से एरिया 339.62 हैक्टयर पर प्रस्तावित खारी नदी से बजरी खनन हेतु परियोजना की जनसुनवाई श्री गोविन्द सिंह राणावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, राजसमन्द एवं श्री महावीर मेहता, क्षैत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंड़ल, क्षैत्रीय कार्यालय, भीलवाड़ा की उपस्थिति में आयोजित की गई। उक्त जन सुनवाई के लिए नियमानुसार समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 23.03.2015 को आम सूचना प्रकाशित की गई थी। समाचार पत्रों की फोटोप्रतियां संलग्न है। यह जन सुनवाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुरूप आयोजित की गई। जन सुनवाई प्रस्तावित परियोजना स्थान कार्यालय पंचायत समिति, तहसील–देवगढ, जिला–राजसमन्द में दिनांक 27.04.2015 को आयोजित की गई। जन सुनवाई की विड़ियों रिकोर्डिंग सी.डी एवं फोटोग्राफ संलग्न है। जन सुनवाई में उपस्थित 19 व्यक्ति उपस्थित हुए जिसकी सूची संलग्न है।

जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंड़ल के क्षैत्रीय अधिकारी, श्री महावीर मेहता ने जन सुनवाई में आये हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए, जन सुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जन समूह से यह अपील की, कि वे इस प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण संरक्षण/नियंत्रण संबंधित अपनी आपत्ति, सुझाव और अपेक्षाओं के बारे में विचार मौखिक/लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते है।

श्री राजेन्द्र सिंह राणावत के तकनीकी सलाहकार मैसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट के श्री आर. डी. सक्सेना ने इस परियोजना के प्रतिवेदन का विस्तार से वर्णन किया तथा श्री राजेन्द्र सिंह राणावत द्वारा निकट ग्राम–ससानी तहसील–देवगढ के राजस्व ग्रामों से एरिया 339.62 हैक्टयर पर प्रस्तावित खारी नदी से बजरी खनन क्षमता 150000 टन प्रतिवर्ष परियोजना के बारें में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संबंधी जानकारी बताई।

वैज्ञानिक अधिकारी, श्री के. के. जैथल्या ने जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों से कहा कि आप परियोजना के संबंध में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संबंधी प्रश्न/आक्षेप/ सुझाव देते हुए अपनी बात कह सकते है।

जन सुनवाई में उपस्थित श्री दिग्विजय सिंह के द्वारा जानकारी चाही गई कि इस खनन परियोजना से कुंओं का वाटर लेवल डाउन जायेगा या नहीं।

उपरोक्त कथन के अनुक्रमण में संवेदक के तकनीकी सलाहकार मैसर्स एपेक्स मिनटेक कन्सलटेंट के श्री आर. डी. सक्सेना ने बताया कि यदि बहुत अधिक गहराई से खनन किया जायेगा तो ऐसा सम्भव है। नियमानुसार खनन 03 मीटर की गहराई तक किया जायेगा एवं इससे कुंओं के जल स्तर पर प्रभाव नहीं पडेगा।

पुनः श्री दिग्विजय सिंह के द्वारा जानकारी चाही गई कि खारी नदी पर बहुत अधिक एनिकट बन चुके है इससे पानी का फ्लो नहीं होगा एवं रेत की भरपाई भी सम्भव नहीं होगी। इसलिए 03 मीटर से अधिक गहराई से खनन की सम्भावना रहती है। उनके द्वारा जानकारी चाही गई कि प्रतिवर्ष कितनी रेत निकाली जायेगी।

श्री आर. डी. सक्सेना ने बताया कि नियमानुसार 03 मीटर से अधिक गहराई से खनन नहीं किया जायेगा एवं इस पर खान एवं भू–विज्ञान विभाग की निगरानी रहती है। प्रतिवर्ष 150000 टन तक बजरी खनन किया जा सकेगा।

पुनः श्री दिग्विजय सिंह ने सुझाव दिया कि इस खनन परियोजना की स्वीकृति से पहले वर्तमान में नदी की स्थिति की विडियोग्राफी करवा ली जाये जिससे भविष्य में पता लगाया जा सके कि नियमानुसार खनन हो रहा है या नहीं।

अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय द्वारा कहा गया कि संवेदक श्री राजेन्द्र सिंह राणावत नदी की स्थिति की विडियोग्राफी करवाकर प्रेषित करें एवं मिनिट्स के साथ विडियोग्राफी की सी.डी. भी भेज दी जाये।

जन सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय में से किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अन्य जानकारी नहीं चाही गई।

अन्त में श्री गोविन्द सिंह राणावत, अतिरिक्त जिला कलैक्टर, राजसमन्द द्वारा उपस्थित जन समुदाय को शान्ति एवं संयमपूर्वक अपनी बात कहने एवं जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त किया गया एवं जन सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

(गोविन्द सिंह राणावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
(राजसमन्द)

(महावीर मेहता, क्षेत्रीय अधिकारी),
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
(भीलवाडा)

[illegible] उपस्थिति पत्रक

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय भीलवाड़ा के तत्वावधान में खारी नदी बजरी खनन परियोजना, तहसील- देवगढ़, जिला- राजसमंद (राज.)

क्षेत्रफल - 339.62 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता :- 150000 मे.ट.

आवेदक :- श्री राजेन्द्र सिंह राणावत

जन सुनवाई दिनांक - 27.4.2015

समय - दोपहर 3.0 बजे

स्थान - कार्यालय पंचायत समिति, देवगढ़ जिला- राजसमंद (राज.)

क्रम संख्या	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	G.S. Ranawat	ADM Rajsmand	[signature]
2.	महावीर मेहता	क्षेत्रीय अधिकारी, रा.प्र. प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा	[signature]
3.	के.के. [illegible]	वैज्ञानिक अधिकारी, राज. राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल क्षे. का. भीलवाड़ा (राज.)	[signature]
4	[illegible] सिंह	SDM Devgarh	[signature]
5.	R.D. Saxena	Apex Mintech Consultant.	[signature]
6.	Kishan lal Rawat	App [illegible] Consultant	[signature]
7	Vijay Nath	Devgarh	[signature]
8.	[illegible]	[illegible]	[signature]

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
9	इन्दुसिंह	बली जस्साखेड़ा	इन्दुसिंह
10	नन्दनवदलिट	देवगढ़	[illegible]
11	मनोज कुमार	देवगढ़	मनोज
12	राजेन्द्रसिंह -	[illegible]	[illegible]
13	हेमराज	पुनालो का खेड़ा	हेमराज
14	उम्मेद सिंह चुण्डावत	मोयणा	[illegible]
15	लक्ष्मण गुर्जर	पीतामपुरा	[illegible]
16	अर्जुन गुर्जर	देवगढ़	[illegible]
17	लाडूलाल	आती	लाडूलाल
18	मांसरीलाल	आती	मांसरीलाल
19	रतनलाल	आती	रतनलाल
20			
21			
22			

... खेड़ा व काल्गुमान सरपंच के खिलाफ रिपोर्ट थाने में रविवार को ... का मामला दर्ज कराया गया है। एएसआई जगदीशचंद्र गुर्जर के अनुसार खेड़ा निवासी कुमकुमलता पत्नी ... रावत ने खेड़ा सरपंच कमलेशसिंह रावत के खिलाफ मामला दर्ज कराया है कि कलू देवी के तीन संतानें हैं। इधर, ... निवासी सीता देवी पत्नी ... रावत ने काल्गुमान सरपंच कंकू देवी पुत्री ... , उदयसिंह पुत्र रतनसिंह, ... तथा पुलिसकर्मी ... निवासी मोडाराम टंकारी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस षडयंत्र में ... आरोपियों का भी हाथ है।

> मेरे ऊपर लगाया आरोप झूठा है। मैंने आठवीं की परीक्षा पास की है। इसके बाद पुकार रहा है।
> कंकू देवी, सरपंच, ...

> कुमकुमलता दर्ज होने के बारे में जानकारी नहीं है। मेरे दो संतानें हैं। यह आरोप गलत लगाया गया है।
> कलू देवी, सरपंच, खीम खेड़ा

विवाहिता से दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज

राजसमंद। कुंवारिया थाना क्षेत्र के ... निवासी विवाहिता ने रविवार को ... निवासी ... पुत्र ... पूर्बिया के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी एक साल से उसके घर पर आ रहा है।

भ्रूण को नोच रहे थे कुत्ते, लोगों ने छुड़ाया

राजसमंद। रेलमगरा थाना क्षेत्र के मकरावास में रविवार सुबह ... मृत भ्रूण को कुत्ते नोच रहे थे। इस दौरान ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाकर छुड़ाया। यह भ्रूण करीब साढ़े सात माह का है। मकरावास निवासी रतनलाल पुत्र ... अहीर ने रिपोर्ट दी कि गांव के मोतीलाल के नोहरे के पास कुत्ते भ्रूण को नोच रहे थे। पुलिस ने भ्रूण को जब्त कर लिया। इसके बाद पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया गया।

ब्राउन शुगर सप्लायर को जेल

राजसमंद। रेलमगरा पुलिस ने ब्राउन शुगर सप्लायर को रविवार को न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रेलमगरा थानाधिकारी ...सिंह ने बताया कि ... निवासी ... पुत्र हजारीलाल जाट को जेल भेज दिया गया।

नवरात्रि शक्ति की साधना का पर्व है : मुनि शुभकर

राजसमंद। संबोधि उपवन ट्रस्ट ... में नवरात्रि साधना शिविर के दूसरे दिन संत शुभकरण ने ... में कहा कि नवरात्रि शक्ति की साधना का पर्व है। मनुष्य जन्मों-जन्मों से 'मैं' और 'मेरा' के मोह में जकड़ा हुआ है, जिससे वह स्वयं अपने स्वरूप की पहचान नहीं पा रहा है। जिस शरीर को वह अपना मान रहा है, वह मिथ्या है और मन हमेशा ... में लगा रहता है।

हमने मन व शरीर को मालिक बना रखा है, मगर वास्तव में आत्मा हमारी मालिक है। मनुष्य को जीवन भर पता नहीं चलता है कि आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, क्योंकि हम इस आत्मा के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। हमारी साधना में सबसे बड़ी बाधा हमारा आलस्य, निद्रा व ... मन को आत्मा के साथ ... लिए अल्पभोजन, अल्पनिद्रा, ... अनुकूल स्थान व सद्गुरु व सत्संग अत्यन्त आवश्यक ...

... और टंकी का अब तक निर्माण नहीं कराया गया। इससे यह ... बंद पड़ी है। ग्रामीणों ने ... 500 रुपये खर्च कर ...

क्षेत्रीय कार्यालय फोन 01482-241059

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा

[illegible]

1. ... [illegible]
2. ... [illegible]
3. ... [illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी

AICTSL » ATAL INDORE CITY TRANSPO[RT] SERVICES LTD.

Plot No. 30 - Residency Area, A.B.Road, Opp. MGM Medical College, Indore 452001, Ph: +91 731 2499898

Email: info@citybusindore.com

EXPRESSION OF INTEREST

CONSULTANCY SERVICES FOR MONITORING & EVALUATION AND USER SATISFACTION SURVEY FOR BRTS 'I-BUS' INDORE.

GPN No. 737, Dated: Oct 1, 2008.
EOI Notice No./ AICTSL/ 67
GEF TF No. ...549-...
Indore, Dated: 20/03/201[5]

Atal Indore City Transport Services Ltd. (AICTSL) ha[s] received a grant from the Global Environment Facility (GEF ... International Bank for Reconstruction and Development f[or] Sustainable Urban Transport Project in Indore city an[d] intends to apply part of the funds for the captioned study.

AICTSL invites Expression of Interest (EoI) from qualified & experienced "firms" with all supporting document[s] substantiating qualifications to perform the services experience in similar assignments and skills among the staff for **"Consultancy Services for Monitoring & Evaluation and User Satisfaction Survey for BRTS 'I-BUS' Indore"** so as to reach the office of CEO, AICTSL at the address, not later than 4.00 pm on 11/05/2015. The full text of EoI can be seen at www.citybusindore.com and www.sutpindia.com.

वनस्थली विद्यापीठ

BANASTHALI VI[DYAPITH]

दिखाते हुए पूरे शक्ति से उड़ा और हंस से कुछ आगे निकल गया। हंस

अभिमान नहीं करना

10 माह से 'ताक रहे' पेंशन

देवगढ़ @ पत्रिका. दस माह पूर्व जारी हुए प्रमाण पत्रों के बाद भी अभी तक क्षेत्र के 64 लोगों को पेंशन नहीं मिली है। इसमें मूक बधिर बच्चों से लेकर विधवा, विकलांग लोग हैं। जिले में 40 आवेदक को मंदबुद्धि एवं मूक-बधिर विकलांग, विधवाओं को पेंशन देने के लिए प्रमाण पत्र बनाये गए। लेकिन तब से आज तक उन्हें पेंशन नहीं मिली। इधर जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष नृसिंह सौलंकी ने जिला कलक्टर, सांसद व विधायक को पत्र लिखकर शीघ्र ही पेंशन दिलाने की मांग की है, साथ ही 6 अप्रैल तक पेंशन नहीं मिलने पर उपखंड कार्यालय पर धरना देने की चेतावनी दी है।

कार्यकारिणी का विस्तार

रेलमगरा. भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के तहत स्थानीय अल्प संख्यक मोर्चा कार्यकारिणी का विस्तार किया गया है। मण्डल संयोजक अब्दुल [illegible] ने बताया कि मण्डल सहसंयोजक पद पर शहजाद हुसैन रंगरेज, [illegible] मंसूरी, शहजादहुसैन [illegible] नगर संयोजक के पद पर [illegible] हुसैन रंगरेज, सह संयोजक रज्जाक मोहम्मद रंगरेज एवं [illegible] मोहम्मद शाह को मनोनीत किया है।

बिजली कटौती से परेशानी

पीपली आचार्यान. [illegible] पंचायत मुख्यालय पर पिछले एक सप्ताह से बिजली आपूर्ति में चल रही अव्यवस्था के चलते ग्रामीण परेशान है। गांव के भैरूलाल [illegible] ने बताया कि पुरावास जीएसएस से ओद्र गांव की लाइन में विद्युत [illegible] नहीं मिल रही है। दिन में कई बार बिजली गुल हो जाती है। जिससे ग्रामीणों को घंटों बिजली का इंतजार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने शीघ्र अघोषित कटौती बंद कर आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग की है।

क्षेत्रीय कार्यालय फोन: 01482-24[illegible]

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु जनसुनवाई के लिए आम सूचना

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible] EIA [illegible]

1. जिला कलेक्टर, [illegible]
2. जिला उद्योग केन्द्र, [illegible]
3. जिला परिषद, [illegible]
4. [illegible] पंचायत समिति, देवगढ़ जिला [illegible]
5. क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, भीलवाड़ा
6. [illegible]
7. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, [illegible], जयपुर
8. [illegible]

[illegible] 27.04.2015 [illegible]

क्षेत्रीय अधिकारी

CROSSWORD

ऊपर से नीचे